है । ऐसी महत्वपूर्ण दवा को आप केटेगरी "ए" में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं ? मेरा फिर से सवाल है कि आप के प्रतिमान क्या हैं ? You have said, Government has certain categories. What are those *pratiman*? आपने कई दवाओं को केटेगरी "ए" में डाला है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में परिचर्या गृहों (नर्सिंग होम्स) के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शक निर्देश

*2. श्री राम जेठमलानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत परिचर्या गृह (छोटे अस्पताल) कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे परिचर्या गृहों की स्थापना के लिए कोई मार्गदर्शक निर्देश अथवा अनुदेश निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था भी की है जिसके अन्तर्गत मार्ग-दर्शक निर्देशों का उल्लंघन होने अथवा जनता का आर्थिक शोषण किये जाने पर इन परिचर्या गृहों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 126 पंजीकृत उपचर्या गृह और 77 ज्ञात अपंजीकृत उपचर्या गृह हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम, 1953 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में पंजीकरण कराने की व्यवस्था है तथा भवन, जल आपूर्ति, उपकरण और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए पालन किए जाने वाले मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

(घ) से (च) विद्यमान अधिनियम/नियमों में निम्नलिखित कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करने की शर्त पर पंजीकरण का प्रावधान है :

—अर्हता–प्राप्त चिकित्सकों और अर्हता प्राप्त नर्सों की तैनाती,

—उपयुक्त आवास और उपकरण।

विनियमों में विशिष्ट प्राधिकारियों द्वारा उपचर्या गृहों का निरीक्षण करने और अधिनियम में निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों की अवहेलना करने पर पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था है। तथापि, विद्यमान कानून में निजी उपचर्या गृहों में दी गई सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कानून में पंजीकरण न कराने पर दंड के साथ-साथ पंजीकरण के रद्द करने की व्यवस्था है अगर निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि निर्धारित न्यूनतम मानक पूरे नहीं किए गए हैं।